42

राजस्थानसरकार
वन विभाग

क्रमांक : प.3(26)वन/2008 जयपुर, दिनांक : 20 JUL 2010

## अधिसूचना

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 (1972 का केन्द्रिय अधिनियम संख्या 53), जो कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ 11014/3/72 एफ.आर.वाई./ डब्लू.एल.एफ. दिनांक 01 सितम्बर 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 36 ए के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार जालोर जिले की भीनमाल तहसील के रक्षित वन खण्ड जसवन्तपुरा, पूरण–पंसेरी एवं डोरडा तथा सिरोही जिले की रेवदर तहसील के रक्षित वन खण्ड रोउवा बड़वज की निम्न अनुसूची में वर्णित रक्षित वन भूमि को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति भू–संरचना सम्बन्धित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद् द्वारा "कन्जरवेशन रिजर्व" घोषित करती है। इसे भविष्य में "सुन्धामाता कन्जरवेशन रिजर्व" के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा। सुन्धामाता कन्जर्वेशन रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 11748.92 हैक्टर है, जिसमें से 10114.92 हैक्टर जालोर जिले में तथा 1634.00 हैक्टर सिरोही जिले में अवस्थित है।

### अनुसूची

| जिला व तहसील | सम्मिलित वन खण्डों का नाम | सम्मिलित क्षेत्र का विवरण | क्षेत्रफल (है0 में) | राज्य सरकार की विज्ञप्ति सं. व दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| जालोर तहसील भीनमाल | जसवन्तपुरा | सम्पूर्ण वन खण्ड | 4468.42 | एफ.2(10) वन /90 दिनांक 12.7.90 गजट नोटिफिकेशन दि0 5.11.1992 |

**वन खण्ड जसवन्तपुरा की सीमाएं**

| | | |
|---|---|---|
| उत्तरी सीमा | – | रक्षित वनखण्ड जसवन्तपुरा की उत्तरी सीमा जो कि राजस्व ग्राम राजपुरा, दांतलावास एवं कीबला की दक्षिणी सीमाओं से लगती हुई है। |
| पूर्वी सीमा | – | वनखण्ड जसवन्तपुरा की पूर्वी सीमा जो कि राजस्व ग्राम जसवन्तपुरा, जीतपुरा एवं उस्मत की पश्चिमी सीमाओं से लगती हुई है। |
| दक्षिणी सीमा | – | वनखण्ड जसवन्तपुरा की दक्षिणी सीमा जो कि राजस्व ग्राम उस्मत की उत्तरी सीमा के साथ–साथ वनखण्ड पूरण पंसेरी की दक्षिणी सीमा व सिरोही जालोरकी उभयनिष्ठ (Common) सीमा से लगती हुई है। |
| पश्चिमी सीमा | – | रक्षित वनखण्ड पूरण पंसेरी की पश्चिमी सीमा जो कि राजस्व ग्राम केर एवं राजस्व ग्राम पूरण की पूर्वी सीमाओं से लगती हुई है। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| जालोर तहसील भीनमाल | डोरडा | सम्पूर्ण वन खण्ड | 4452.78 | एफ.2(10) वन /90 दिनांक 12.7.90 गजट नोटिफिकेशन दि0 5.11.1992 |

**वन खण्ड डोरडा की सीमाएं**

| | | |
|---|---|---|
| उत्तरी सीमा | – | रक्षित वनखण्ड डोरडा की उत्तरी सीमा जो कि राजस्व ग्राम पावली एवं राजस्व ग्राम सनदरा की दक्षिणी सीमाओं से लगती हुई है। |
| पूर्वी सीमा | – | वनखण्ड डोरडा की पूर्वी सीमा जो कि राजस्व ग्राम डोरडा एवं राजस्व ग्राम गोलाना की पश्चिमी सीमाओं से लगती हुई है। |
| दक्षिणी सीमा | – | रक्षित वनखण्ड डोरडा की दक्षिणी सीमा जो कि राजस्व ग्राम चेकला की उत्तरी सीमा से लगती हुई है। |
| पश्चिमी सीमा | – | रक्षित वनखण्ड डोरडा की पश्चिमी सीमा जो कि राजस्व ग्राम राजीकावास, राजस्व ग्राम मनोहरजी का वास एवं राजस्व ग्राम पहाड़पुरा की पूर्वी सीमाओं से लगती हुई है। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| जालोर तहसील भीनमाल | पूरण पंसेरी | सम्पूर्ण वन खण्ड | 1193.72 | एफ.2(79) वन /93 दिनांक 19.8.1993 गजट नोटिफिकेशन दि0 17.02.1994 |
| सिरोही तहसील रेवर | रोउवा बडवज | कंपार्टमेंट –18<br>कंपार्टमेंट –19<br>कंपार्टमेंट –20<br>कंपार्टमेंट –21<br>कंपार्टमेंट –22<br>कंपार्टमेंट –23 | 346.00<br>238.00<br>202.00<br>401.00<br>299.00<br>148.00 | डी 19174 एफ–15 (2) राजस्व/ अ/ 57 दिनांक 17.10.1958 |

### वन खण्ड पूरण पंसेरी एवं रोउवा बडवज की सीमाएं

| | | |
|---|---|---|
| उत्तरी सीमा | – | वनखण्ड जसवन्तपुरा की दक्षिणी सीमा जो कि राजस्व ग्राम उस्मत की उत्तरी सीमा के साथ–साथ वनखण्ड पूरण पंसेरी की दक्षिणी सीमा व सिरोही जालोर जिलों की उभयनिष्ठ (Common) सीमा से लगती हुई है। |
| पूर्वी सीमा | – | वनखण्ड रोऊवा बड़वज की पूर्वी सीमा जो कि राजस्व ग्राम हिम्मतपुरा की राजस्व भूमि की पश्चिम सीमा के साथ–साथ है। |
| दक्षिणी सीमा | – | सिरोही जिले के वनखण्ड रोऊवा बड़वज के कम्पाटमेन्ट 18, 20, 21, 22 व 23 की दक्षिणी सीमा जो कि उक्त जिले की रेवदर तहसील के ग्राम जालमपुरा, लालपुरा एवं हरीपुरा की राजस्व भूमि की उत्तरी सीमा के साथ–साथ चलती है। |
| पश्चिमी सीमा | – | जालोर एवं सिरोही जिलों की उभयनिष्ठ (Common) जिला सीमा से वनखण्ड पूरण पंसेरी की दक्षिणी–पश्चिमी सीमा तक राजस्व ग्राम धूलिया एवं केर की पूर्वी सीमा से लगती हुई है। |

राज्यपाल की आज्ञा से
19/7/10
(डॉ0 वी.एस. सिंह)
प्रमुख शासन सचिव (वन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
3. समस्त निजी सचिव/ मंत्री/ राज्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं बन बनदोबस्त, अरावली भवन, राज0, जयपुर ।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर ।
8. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर ।
9. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर ।
10. वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर ।
11. जिला कलेक्टर, जालोर/सिरोही ।
12. मण्डल वन अधिकारी, जालौर एवं सिरोही ।
13. प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुभाग–8 को अतिरिक्त 10 प्रतियों सहित ।
14. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान–जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर 50 अतिरिक्त प्रतियाँ भिजवावें ।
15. गार्ड पत्रावली ।

मुख्य वन संरक्षक एवं
अतिरिक्त सचिव, वन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

C:\Documents and Settings\comp\My Documents\3(26)08 notification.doc